

परिपत्र सं. 61/2015

विषय: विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले सभी सभी ईओयू, सीपज़-सेज़ और अन्य प्राइवेट सेज़ के मुंबई क्षेत्र के विकासकों/सह विकासकों/यूनिटों की समस्याओं/मुद्दों के समाधान के लिए ओपेन हाउस का आयोजन।

विकास आयुक्त, सीपज़ - सेज़ की अध्यक्षता में दिनांक 10.08.2015 को सुबह 11.30 बजे से 11.30 बजे ए विंग - विकास आयुक्त कार्यालय, अंधेरी (पू), मुंबई-96 के पीछे बीएफसी भवन, के दूसरे तल पर सम्मेलन हाल में खुली चर्चा का आयोजन किया जाएगा।

विकास आयुक्त, सीपज़ - सेज़ के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले सभी ईओयू, सीपज़-सेज़ और अन्य प्राइवेट सेज़ के मुंबई क्षेत्र के विकासकों / सह विकासकों / यूनिटों को सूचित किया जाता है कि वे अपने मुद्दों / शिकयतों / समस्याएँ समय रहते भिजवाएं ताकि ओपेन हाउस में इनपर विचार विमर्श किया जा सके।

(वाय.बी.बघेल)

सहायक विकास आयुक्त,
सीपज़ सेज़.

प्रतिलिपि: विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले सभी ईओयू, सीपज़-सेज़ और अन्य प्राइवेट सेज़ के मुंबई क्षेत्र के विकासक/सह विकासक/यूनिट.